छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   षष्ठम् सत्र   अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04,

2. अध्यक्षीय निर्देश

पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आपस में आवेशात्मक संवाद किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि-चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ प्रश्नकाल के महत्व को देखता है। विधान सभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है, विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। इसलिये मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि विधानसभा की मर्यादा को पूरा छत्तीसगढ़ और देश देख रहा है यदि इस प्रकार के लहजे में विधानसभा में बातचीत होगी तो यह उचित नहीं है। जो भी विषय हैं, उसमें अपनी बात को रखें, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सदस्य आपस में बात न करें। आसंदी को देखकर बात करें। एक-दूसरे को देखकर बात करने की यह जगह नहीं है। आसंदी को सीधा संबोधित करिये।

3. प्रश्नकाल (क्रमशः)

05, 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 67 तारांकित एवं 82 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

(तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

5. सदन को सूचना

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में बुधवार दिनांक 16 जुलाई, 2025 को सायं 6 बजे से, वर्ष 2024 हेतु चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर पुरस्कार वितरण हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के दायीं ओर स्थित लॉन में आयोजित है। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति एवं रात्रि भोज आयोजित है। इस कार्यक्रम में आप समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

6. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ बकायाकर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पटल पर रखा।

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024,

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम,1991(क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2024/आठ-परि., दिनांक 20 जून, 2025,

(3) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की

अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024),

(4) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025,

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उप धारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24,

(6) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 126/एफ 2 (7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025,

(ii) 128/एफ 2 (7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025 एवं

(iii) 239/एफ 2 (1)/48/सं.का./2025, दिनांक 30 मई, 2025,तथा

(7) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-2024),

पटल पर रखे ।

8. पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में अवैध रेत उत्खन्न, भण्डारण एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति संबंधी दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराए जाने की मांग की ।

इस संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, देवेन्द्र यादव, द्वारिकाधीश यादव एवं भूपेश बघेल ने भी विचार व्यक्त किए।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

9. व्यवस्था

मानननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश में अवैध रेत उत्खन्न, भण्डारण एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति के विषय में दी गई स्थगन की सूचना मुझे आज प्रात: प्राप्त हुई। परन्तु उक्त विषय में संबंधित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55 (6) के अनुसार प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी, जो विचार के लिए पहले से नियत किया जा चुका है। अत: मैं इस स्थगन को अग्राह्य करता हूं।

10. बहिर्गमन

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

11. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा लोक महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य ने अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.चरणदास महंत, सदस्य ने रेडी-टू-ईट एवं फोर्टीफाईट आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले स्व-सहायता समूह का चयन कर कार्य दिये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. बहिर्गमन

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

13. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(3) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य ने वन मंडल बलौदाबाजार तथा रायपुर में अवैध शिकार एवं आरा मिलों में अवैध काष्ठ के व्यापार होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री केदार कश्यप, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य ने प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित किया ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

14. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी गई ।

(1) श्री अजय चन्द्राकर

(2) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया

(4) श्री दलेश्वर साहू

(5) श्री राजेश अग्रवाल

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्रीमती भावना बोहरा
3. श्री ललित चन्द्राकर
4. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

16. प्रस्ताव

" दिनांक 07 मई, 2025 को "ऑपरेशन सिंदूर" द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किये जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर "भारतीय सेना" के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के "यशस्वी प्रधानमंत्री" की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए यह सदन हार्दिक अभिनंदन करता है ।"

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- " दिनांक 07 मई, 2025 को **"ऑपरेशन सिंदूर"** द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किये जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर **"भारतीय सेना"** के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के "यशस्वी प्रधानमंत्री" की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए यह सदन हार्दिक अभिनंदन करता है" एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर

17. बहिष्कार

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर के कथन के विरोध में सभा की कार्यवाही से बहिष्कार किया गया।)

18. प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री किरण देव

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 25, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा